BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 08 मार्च 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 35,000-35,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त आरिफ पुत्र नन्हेखां निवासी मौ0 धमैडा रोड नई बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में अपनी पत्नी की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.08.2017 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1121/17 धारा 302,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा बरामदगी के सम्बन्ध में मुअसं- 1121/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। आरोप पत्र दिनांक 01.12.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 14 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **दिनांक 07.03.2025 को न्यायाधीश श्री शिवान्नद वर्मा (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आरिफ को आजीवन कारावास व 35,000-35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर ।